

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
 वनादेश ५६ / १-१२(५)(HRD) देहरादून दिनांक २४ दिसम्बर, २०२१

पदोन्नति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-१ के पत्र संख्या २२००/४-१-२०२१-०४(०२)/२०२१, दिनांक २८.१२.२०२१ एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या २२२/१२/ई-४/डी०पी०सी०/२०२१-२२, दिनांक २४.१२.२०२१ द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में चयन वर्ष २०२१-२२ की रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित उप वन क्षेत्राधिकारियों को वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-६ रू० ३५,४००-१,१२,४००/- से वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-८ रू० ४७,६००-१,५१,१००/- में स्तम्भ-४ के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है-

चयन वर्ष २०२१-२२

क्र. सं.	उप वन क्षेत्राधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	गोपाल दत्त जोशी	वन वर्धनिक, नैनीताल।	तत्काल
२	महेन्द्र सिंह रैकुनी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल।	तत्काल
३	नारायण दत्त पाण्डे	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।	तत्काल
४	भानुप्रकाश हर्बोला	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	तत्काल
५	पूर्ण सिंह	टिहरी डैम-१, वन प्रभाग, टिहरी।	तत्काल
६	बुद्धि प्रकाश बहुगुणा	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।	तत्काल
७	प्रबोध पाण्डे	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर।	दिनांक ०१.०१.२०२२
८	विजय सिंह नेगी	टिहरी डैम-१, वन प्रभाग, टिहरी।	दिनांक ०१.०१.२०२२
९	मुकेश रतूडी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।	दिनांक ०१.०१.२०२२

१. संबंधित कर्मचारी आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग कर दिया गया है। परित्याग की स्थिति में कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, २०२० में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

२. उक्त पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती प्रभाग में ही पदोन्नति के पद पर योगदान देंगे। तत्पश्चात् यथास्थिति, संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में रिक्त पदों एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यक हो तो अलग से तैनाती आदेश करेंगे। इस सन्दर्भ में शासन की पत्र संख्या २१७७/४-१-२०१३-०४(१३)/२००६, दिनांक ०५.०९.२०१३ में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों



के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कार्मिकों के अन्तरमण्डलीय स्थानान्तरण की आवश्यकता होने पर सुस्पष्ट प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये जाये। यह सम्पूर्ण कार्यवाही 15 दिन के अन्तर्गत करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

3. कर्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कर्मचारी के अवमुक्त/योगदान/परित्याग के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

WSP
(विनोद कुमार) 12.21
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 4414 / 1-12(5) तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आदेश की प्रति सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों का शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड में अपलोड करने हेतु।
4. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

WSP
(विनोद कुमार) 12.21
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 4414 / 1-12(5) तददिनांकित।

प्रतिलिपि-1. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासन के पत्र संख्या 2200/x-1-2021-04(02)/2021, दिनांक 28.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या 222/12/ई-4/डी0पी0सी0/2021-22, दिनांक 24.12.2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

WSP
(विनोद कुमार) 12.21
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

I.T.C.C
डॉ. रामेश का
पेस करिय
29/12